मैनुअल–11

सभी योजनाओं व प्रस्तावों व्ययों और किये गये संवितकों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

अभिकरण को आवंटित बजट

वित्तीय व्यवस्था

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 अधिसूचना सं0– 1922/X-2–2012–7(6)/2004 टी0सी0 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के बिन्दु–10 के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा प्राधिकरण के खातें में निम्न प्रकार से निधि/राशियॉ प्राप्त व जमा की जायेंगी :

(क) तदर्थ कैम्पा द्वारा दी गई धनराशि।

(ख) प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनारेपण, एन0पी0वी0 जलग्रहण क्षेत्र उपचार अथवा वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते समय केन्दीय सरकार द्वारा रखी गई शर्तों के अनुपालन में कोई धनराशिः

(ग) उपभोगता अभिकरण से पूर्व प्राप्त अप्रयुक्त निधि, जो तदर्थ कैम्पा एकाउन्ट में हस्तांतरित नहीं कराई जा सकीः

(घ) रक्षित क्षेत्रों अर्थात् जैवविधिता और वन्यजीवों के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों के वास्ते वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 26–क या 35 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, मे दी गयी वनभूमि के संबंध में उपभोगता अभिकरण से प्रत्याहरणीय निधि, को पृथक शीर्ष में रखा जाएगाः

(ड) उस वनभूमि का, जो गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु परिवर्तित किया गया है, का वह शुद्व वर्तमान, मूल्य जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा उसके अधीन रचित नियम और मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत एवं उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29 अक्टूबर, 2002 के निर्णय के अनुपालन में जमा कराया गया हैः–

(च) राज्य सरकार प्राधिकरण के खाते मे निम्न राशियां भी जमा कर सकती है–
(एक) अनुदान अथवा सहायता, यदि कोई प्राप्त हुईः
(दो) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण अथवा उसके द्वारा माग गया कोई ऋणः
(तीन) प्राधिकरण द्वारा लाभ, उपहार दान या उसके लक्ष्य एवं उद्वेश्यों से संबंध मे प्राप्त अन्य धनराशि।